कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001

बिहार सरकार

ई-मेल-diragri-bih@nic.in वेबसाइट -state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष /फैक्स- 0612-2215895

पत्र संख्या–8 / यो०कृ०यां०–01 / 2024 2667 दिनांक - 20/06/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)।
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।
सभी सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)

विषय :– कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना 2024–25 के कार्यान्वयन अनुदेश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 का कार्यान्वयन अनुदेश आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न किया जाता है।

निदेशित किया जाता है कि संलग्न कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन करते हुए ससमय कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना वर्ष 2024–25 का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त कार्यान्वयन अनुदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(मुकेश कुमार लाल)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2667 दिनांक : 20/06/2024

प्रतिलिपिः–श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, टेक्नीकल डायरेक्टर, NIC, Patna/ श्री राधे श्याम, S.S.A, NIC, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2667 दिनांक : 20/06/2024

प्रतिलिपिः–उप निदेशक (शष्य) सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

f:\2024\month wise letter\Jun-2024.docx

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक : 2663 दिनांक : 20/06/2024

प्रतिलिपि- निदेशक, पौधसंरक्षण, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2663 दिनांक : 20/06/2024

प्रतिलिपि- सचिव, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना 2024–25 के लिये कार्यान्वयन अनुदेश

वित्तीय वर्ष 2024–25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकीकरण योजना का कार्यान्वयन एवं कुल–8225.00 लाख (बयासी करोड़ पचीस लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या–08/यो0कृ0यां0–01/2024 पी0पी0एम0–31 दिनांक–15.03.2024 द्वारा प्राप्त है एवं शुद्धि पत्र 08/यो0कृ0यां0–01/2024–पी0पी0एम0–73 दिनांक–20.06.2024 द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त दोनों पत्र के आलोक में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना बिहार के सभी जिलों में लागू होगी। आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से राज्य के किसान ससमय शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे। कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना के ये दिशा निर्देश सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत घटक संख्या–3 के संदर्भ में भी लागू होंगे।

इस अनुदेश के साथ संलग्न *अनुसूची–"2"* कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना के लिए लागू है।

2. योजना का उद्देश्य :–

- उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग करना।
- समय, अर्थ एवं श्रम की बचत करना।
- फसल योजना का समय पर सम्पादन एवं
- समय पर फसल तैयारी का प्रबंधन किया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लक्ष्य :–

(3.1) पुआल जलाने की समस्या के निदान हेतु फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्र यथा–हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, रीपर, रोटरी मल्चर, रोटरी सलेशर, जीरोटिलेज, पैडी स्ट्रॉ चौपर, स्ट्रा रीपर, ब्रश कटर, रिभरसेबुल एम०बी० प्लाऊ, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम आदि को रखा गया है। योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन सम्बंधी यंत्रों पर कुल स्वीकृत राशि का 2000.00 लाख (बीस करोड़) रूपये व्यय किया जायेगा।

(3.2) जुताई एवं बुआई से संबंधित विभिन्न यंत्रों यथा–कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, डिस्क प्लाऊ, पोटैटो प्लांटर, पैडी ट्रांसप्लांटर, आदि हेतु योजना के कुल राशि से 1080.00 लाख (दस करोड़ अस्सी लाख) रू० का व्यय किया जायेगा।

(3.3) कटनी, थ्रेसिंग एवं अन्य से संबंधित विभिन्न यंत्रों यथा–पोटैटो डीगर, टी प्लकर, मेज थ्रेसर, चैफ कटर, आदि हेतु योजना के कुल राशि से 2880.00 लाख (अठाइस करोड़ अस्सी लाख) रू० का व्यय किया जायेगा।

(3.4) पोस्ट हार्वेस्ट एवं उद्यान से संबंधित विभिन्न यंत्रों यथा–मखाना पॉपिंग मशीन, राईस मिल, फ्लोर मिल, चैन शॉ, आदि हेतु योजना के कुल राशि से 1080.00 लाख (दस करोड़ अस्सी लाख) रू० का व्यय किया जायेगा।

(3.5) चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023–28 के सूत्रण के क्रम में विशेषज्ञों के सुझाव एवं उच्चधिकारियों के निदेश के आलोक में सभी लघु–सीमांत किसानों को 1000/–रू० मूल्य के

Scanned with OKEN Scanner

छोटे–छोटे कृषि यंत्रों यथा–खुरपी, कुदाल, हँसिया, मेज–सेलर, वीडर के किट पर 80% अधिकतम 800/– रू० अनुदान देने हेतु योजना के कुल राशि से 324.00 लाख (तीन करोड़ चौबीस लाख) रूपये व्यय किया जायेगा।

(3.6) कृषि यांत्रिकीकरण योजनान्तर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों पर कृषि निदेशक के निदेशानुसार प्रशासनिक मद से 5.00 (पाँच) लाख रूपये व्यय किया जायेगा। इस सम्बंध में विभाग द्वारा अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(3.7) प्रत्येक जिले में पदस्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के लिए आवश्यकतानुसार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रति जिला 50,000.00 (पचास हजार) रूपये प्रशासनिक मद में उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे आवश्यक सामग्री आदि का क्रय किया जा सकेगा।

(3.8) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल–75 यंत्रों का कार्य के अनुसार समूह बनाकर जिलावार/यंत्रवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो **अनुसूची–"01(01/39) से अनुसूची–01(39/39)"** के रूप में संलग्न है।

4. कृषक को अनुदान लाभ हेतु पात्रताः–

i वैसे कृषक का चयन किया जायेगा जो वास्तविक रूप से कृषि कार्य करते हो।

ii कृषक इच्छुक/प्रगतिशील हों।

iii एक किसान को पावर टीलर एवं छोटे कृषि यंत्रों के किट के अतिरिक्त अधिकतम दो सहायक कृषि यंत्र जो विभिन्न प्रकृति के हैं, पर अनुदान देय होगा।

iv कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के कृषकों/स्वयं सहायता समूह/जीविका द्वारा प्रायोजित समूह/कृषक उत्पादक समूह/किसानों की सहकारी समिति आदि को भी योजना का लाभ मिलेगा।

v पावर टीलर के लिये सामान्य श्रेणी के कृषक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कृषकों के लिए न्यूनतम भू–धारिता 0.5 एकड़ निर्धारित की गई है।

vi पम्पसेट के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम $\frac{1}{2}$ (आधा) एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।

vii बीस हजार (रू० 20000) रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए LPC या अद्यतन मालगुजारी रसीद 2024–25 उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2023–24 या 2022–23 का मालगुजारी रसीद रहने पर भी योजना का लाभ दिया जा सकता है अर्थात 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष का मालगुजारी रसीद जमा करने वाले आवेदक योजना का लाभ ले सकेंगे, हालांकि अद्यतन रसीद नहीं रहने पर कृषि समन्वयक के द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

viii बीस हजार एवं बीस हजार से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर LPC या लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी, पम्पसेट को छोड़कर। 20 हजार रूपये एवं 20 हजार रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर गैर–रैयत कृषक (वास्तविक खेतिहर) भी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

ix वैध रूप से लिखित लीज–पट्टा पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को पावर टीलर एवं अन्य बड़े कृषि यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।

x कृषि यांत्रिकीकरण योजना से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त राशि को प्राथमिकता के आधार पर पहले व्यय किया जायेगा।

xi जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पूर्वानुमति के बिना वित्तीय लक्ष्य से अधिक अनुदानित दर पर यंत्रों की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

xii एक किसान को अधिकतम 100 मी० ले फ्लैट ट्यूब के लिए 20 रू० प्रति मी० की दर से मूल्य का 50% अधिकतम 2000 रू० अनुदान देय होगा।

xiii एक किसान को अधिकतम 300 मी० एच०डी०पी०ई० सिंचाई पाईप के लिए 50 रू० प्रति मी० की दर से मूल्य का 50% अधिकतम 15000 रू० अनुदान देय होगा।

5. यंत्र के लिए आवेदन

अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन–जाति के 1.4 प्रतिशत एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 18 प्रतिशत कृषक समुदाय का चयन किया जाएगा। उक्त कोटि के कृषक के लिए आवंटित वित्तीय लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरे कोटि के कृषकों को देय नहीं होगा। बिहार राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों की माली हालत अच्छी नहीं है। इनकी आर्थिक स्थिति कमोवेश अनुसूचित जाति/जनजाति के समान है।

अतः इस योजनान्तर्गत जिलों के लिए कर्णांकित राशि में से कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के कृषकों को अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

(i) आवेदन की प्राप्ति :–

वैसे कृषक जो अनुदानित दर पर यंत्र क्रय करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम www.dbtagriculture.bihar.gov.in (DBT Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तदोपरांत वे विभागीय वेबसाइट http://www.farmech.bih.nic.in पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। किसानों के सहयोग हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश *अनुसूची–"3"* के रुप में संलग्न है।

(ii) आवेदन की जाँच :–

इच्छुक कृषक ऑनलाईन फार्म मेकेनाईजेशन ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (OFMAS) Portal पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। कृषि समन्वयक द्वारा सात दिनों के अन्दर स्थल पर आवेदन की जाँच कर अपने लॉगिन आई०डी० से जाँच प्रतिवेदन की प्रविष्टि ऑनलाईन की जायगी। **यदि आवेदक द्वारा सॉफ्टवेयर में अपलोड किये गए दस्तावेज Invisible/ त्रुटिपूर्ण होते हैं तो ऐसी स्थिति में कृषि समन्वयक अपने लॉगिंन आई०डी० से आवेदन सत्यापन के समय वांछित दस्तावेज पुनः अपलोड करेंगे।** तत्पश्चात् प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन की पूर्ण जाँच सात दिनों के अन्दर की जायेगी। स्थलीय एवं अभिलेख के आधार पर जाँच कर प्रतिवेदन ऑनलाईन किया जायेगा। उपर्युक्त निर्धारित अवधि के अंदर यदि कृषि समन्वयक द्वारा आवेदनों की जाँच नहीं की जाती है तो उक्त आवेदन स्वतः अगले स्तर यानी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लॉगिन आई०डी० में ऑटो फारवर्ड हो जायेगा। इसी प्रकार यदि प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा उनके आई०डी० अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को सात दिनों के अंदर जिला स्तरीय सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, तो ऐसे आवेदन स्वतः

Scanned with OKEN Scanner

सहायक निदेशक (कृषि अभि०) के लॉगिन आई०डी० में फारवर्ड हो जाएँगे एवं ससमय उक्त कार्य का निष्पादन नहीं करने के लिए सम्बंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की अनुशंसा पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इसकी सूचना कृषि निदेशालय, बिहार को भी दी जायेगी। अंत में सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा आवेदन की जाँच चार दिनों के अंदर कराई जायेगी। आवेदन ऑटो फॉरवर्ड होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आवेदन सही है तथा किसी तरह की गड़बड़ी के लिए संबंधित कर्मी/पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं नियमानुसार कठोर कार्रवाई कर दंडित किया जायेगा।

विभिन्न स्तरों पर आवेदनों की जाँच करने की अवधि/समय सीमा *अनुसूची–"5"* में दी गई है। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 15 दिनों में निश्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच किसान के निवास स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उन्हें सचमुच कृषि उपकरण की आवश्यकता है या नहीं तथा मांग किया गया यंत्र पूर्व में उन्हें अनुदानित दर पर उपलब्ध हुआ है या नहीं। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि कृषि यंत्र के लिए प्राप्त आवेदन की जाँच शत–प्रतिशत हो गई है। अयोग्य आवेदनों को कारण सहित अस्वीकृत किया जायेगा। लक्ष्य के अनुसार ऑनलाईन आवेदन सृजित करने एवं इसकी ससमय जाँच की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में की जायेगी।

(iii) आवेदन की स्वीकृति एवं स्वीकृति पत्र का वितरण:–

सभी आवेदनों के जाँचोपरांत योग्य आवेदनों में से जिला कृषि पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक, आदि की उपस्थिति में सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के Login ID से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप आवेदक का चयन कर स्वीकृति पत्र उसी दिन निर्गत किया जाएगा, जिसे संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिया जायेगा। संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी 48 घंटे के अंदर उक्त स्वीकृति पत्र (परमिट) आवेदक को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तामिला प्रतिवेदन राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण को भी प्रेषित किया जायेगा। स्वीकृति पत्र (परमिट) की एक प्रति जिला कृषि कार्यालय में भी संधारित की जायेगी। *लॉटरी की प्रक्रिया का Video Recording भी किया जायेगा। लॉटरी की प्रक्रिया जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता से अन्यून) की उपस्थिति में किया जायेगा।* लॉटरी के माध्यम से ही यंत्रवार आवेदकों की प्रतीक्षा सूची (लक्ष्य का 150%) भी तैयार की जायेगी।

आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में सहायक निदेशक (कृषि अभि०) अथवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा कारण सहित अस्वीकृत किया जायेगा।

स्वीकृति पत्र की वैधता 21 दिनों की होगी। किसानों को स्वीकृति पत्र में देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंकित रहेगी। स्वीकृति पत्र की वैधता तिथि के अंदर यदि आवेदक कृषि यंत्र का क्रय नहीं करते हैं, तो स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 21 दिन बाद स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः Deactivate/Expire हो जाएगी। तत्पश्चात् शेष लक्ष्य के लिए ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से तैयार प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार परमिट निर्गत किया जायेगा। यदि प्रतीक्षा सूची से भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है, तो पुनः उपरोक्त प्रक्रिया दोहराई जायेगी। आवश्यकतानुसार शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त किया जा सकता है।

6. गुणवत्तापूर्ण यंत्रों की उपलब्धता :—

वित्तीय वर्ष के शुरूआत में यंत्रों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर कृषि यंत्र से जुड़े निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/विक्रेताओं की बैठक आयोजित की जायेगी। राज्य स्तरीय बैठक में दोनों कृषि विश्वविद्यालय यथा डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर, बिहार एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर से भी कृषि अभियंत्रण के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जायेगा। प्रमंडलीय स्तर पर संयुक्त निदेशक (शष्य) अपनी अध्यक्षता में अपने क्षेत्राधीन कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता की बैठक कर यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

7. अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय :—

अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के क्रय हेतु कृषि यांत्रिकीकरण मेला की बाध्यता को समाप्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से यांत्रिकीकरण मेला के अतिरिक्त मेला के बाहर भी कृषि यंत्रों का क्रय करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया था जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी लागू रहेगा। स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल पर Enlisted अधिकृत विक्रेताओं में से कृषक मेला या मेले से बाहर अपनी पसंद तथा कीमत का मोल–भाव कर स्वीकृति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि के अन्दर OFMAS पोर्टल पर सूचीबद्ध यंत्र (मेक/मॉडल) का क्रय कर सकेंगे। कृषि यंत्रों हेतु किसान अनुदान की राशि काटकर शेष राशि (कृषक अंश) का भुगतान कर सम्बंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकेंगे। यंत्र की बिक्री के बाद डीलर द्वारा बिक्री की सूचना उसी दिन OFMAS पर Upload करना अनिवार्य है।

ऐसे यंत्र डीलर, जो कृषि यंत्रों के बिक्री हेतु किसी एक जिला में Registered एवं Approved है, उन्हें राज्य के अन्य जिलों में भी कृषि यंत्रों की बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले/प्रखंड स्तरीय कैम्प में सभी स्वीकृति पत्र प्राप्त आवेदकों को छोटे कृषि यंत्रों के किट का वितरण त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी की उपस्थिति में कराया जायेगा। मेले/कैम्प में ही लाभुक एवं उनके किट के साथ कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का Geotag फोटोग्राफ लिया जायेगा तथा विक्रेता द्वारा विपत्र अपलोड किया जाएगा एवं वितरण सूची पर किसानों के हस्ताक्षर के साथ–साथ सभी पदाधिकारियों एवं उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि का भी हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा। कृषि समन्वयक के द्वारा फोटोग्राफ को ऑनलाईन OFMAS पर अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात् संबंधित विक्रेता द्वारा अनुदान दावा पत्र (Claim Report) Generate कर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को मूल अभिश्रव एवं Claim Report समर्पित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में मेला अथवा कैम्प के बाहर उक्त यंत्र (किट) का वितरण नहीं किया जायेगा एवं अनुदान का भुगतान संबंधित निर्माता को किया जायेगा। इसके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसे जिला कृषि पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

10,000/–(दस हजार) रूपये से अधिक अनुदान (सामान्य श्रेणी को देय अनुदान को आधार मानकर) वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु किसान द्वारा कृषक अंश का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, Online Transaction, Digital Transaction, debit Card, Rupay Card आदि से किया जाना अनिवार्य होगा, नगद भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

10,000/–रू० तक अनुदान (सामान्य श्रेणी को देय अनुदान को आधार मानकर) वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु किसान द्वारा कृषक अंश का भुगतान नगद या बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, Online Transaction, Digital Transaction, debit Card, Rupay Card आदि से भी विक्रेता को किया जा सकेगा।

यंत्र विक्रेता द्वारा कृषक को विक्रय किये गये यंत्र की सम्पूर्ण राशि का बिल ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा। योजनान्तर्गत किसान द्वारा यंत्र क्रय करने पर विक्रेता द्वारा यंत्र के Retail invoice पर उक्त यंत्र के After Sale Service/Complaint हेतु सम्बंधित सर्विस सेन्टर का पता/सर्विस इंजिनियर/मैकेनिक का मोबाईल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि यंत्र के वांरटी/गारंटी अवधि के अन्दर एवं उसके बाद भी यंत्र परिचालन में किसी तरह की कठिनाई/खराबी होने पर किसान द्वारा उक्त मोबाईल नं०/टॉल फ्री नं० पर शिकायत (Complain) दर्ज कराया जा सके। सम्बंधित यंत्र के निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता द्वारा 48 घंटे के अन्दर किसान के शिकायत का निराकरण सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

यंत्र विक्रेता द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये यंत्र के फोटोग्राफ तथा बिल के विवरणों पर निर्माता द्वारा ऑनलाईन सहमति दी जायेगी। निर्माता द्वारा सहमति देने के उपरांत यह संबंधित कृषि समन्वयक के लॉगिन आई०डी० में भौतिक सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा।

8. कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :–

कृषि समन्वयक द्वारा 4 दिनों के अंदर विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के क्रम में कृषि समन्वयक द्वारा किसान के समस्त विवरण एवं बिल में उल्लिखित सामग्री का भौतिक रूप से मशीन के साथ मिलान कर किसान, स्वंय एवं मशीन का फोटो OFMAS पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसान के घर जाकर किया जायेगा। किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैश–मेमो पर उल्लिखित इंजन/यंत्र संख्या के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे तथा क्रय किये गए यंत्रों के साथ लाभान्वितों का फोटो लेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

आपूर्ति यंत्र के मुख्य हिस्से में किसान का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विक्रय का वित्तीय वर्ष Engraved/Emboss है या नहीं, इसकी जाँच करना आवश्यक है। भौतिक सत्यापन के समय कृषि समन्वयक द्वारा यंत्र का फोटोग्राफ इस तरह लेना होगा कि उक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नं०/वर्ष स्पष्ट रूप से फोटो में पठनीय हो।

किसान का रजिस्ट्रेशन नं० एवं यंत्र आपूर्ति का वित्तीय वर्ष यंत्र आपूर्ति के समय इन्ग्रेभ्ड करना अनिवार्य होगा, जिसे संबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन नं० इन्ग्रेभ्ड किये बिना किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा। Engraving इस प्रकार का होना चाहिए जो अमिट हो तथा जाँच के लिए किसी भी समय पठनीय हो। Engraving यंत्र के मुख्य हिस्से में करना अनिवार्य होगा।

प्लास्टिक से सम्बंधित कृषि यंत्र यथा स्प्रेयर/डस्टर में किसान का रजिस्ट्रेशन नम्बर engraved/embossed करने में कठिनाई होगी। इस यंत्र में सीरियल नम्बर होना चाहिए तथा यंत्र के Body पर किसान का रजिस्ट्रेशन नं० एवं विक्रय का वर्ष पेन्ट करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

भौतिक सत्यापन के समय कृषि समन्वयक द्वारा यंत्र का फोटोग्राफ इस तरह लेना होगा कि उक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नं०/वर्ष स्पष्ट रूप से फोटो में पठनीय हो। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी/ विक्रेता/ आपूर्तिकर्त्ता/ किसान के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

यह सुनिश्चित किया जाना है कि आवेदक अपने आवेदन में वर्णित यंत्रों का क्रय अनुदानित दर पर दोबारा करना चाहें तो निम्नलिखित स्थिति में अनुदान देय होगा :-

i. सभी लौह यंत्र एवं HDPE सिंचाई पाईप पर पाँच वित्तीय वर्षों के बाद,
ii. स्प्रेयर/डस्टर (मानव चालित एवं शक्ति चालित) पर तीन वित्तीय वर्षों के बाद,
iii. एच०डी०पी०ई० लैमिनेटेड वोवेन लेफ्लैट ट्यूब पर दो वित्तीय वर्षों के बाद।

अन्य स्थिति के लिए प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा।

9. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :-

भौतिक सत्यापन के उपरांत कृषि यंत्रों पर अनुदान का दावा पत्र सम्बंधित यंत्र विक्रेता द्वारा ऑनलाईन सृजित कर मूल अभिश्रव के साथ सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को समर्पित किया जायेगा, जिसका संधारण जिला कृषि कार्यालय के योजना सहायक द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा जाँचोपरांत अनुशंसा के साथ अभिश्रव/दावा पत्र आदि जिला कृषि पदाधिकारी को संप्रेषित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से 03 दिनों के अन्दर संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा। अनुदान भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा **यंत्रवार अनुदान राशि एवं UTR No./Transaction ID का विस्तृत ब्यौरा कृषि विभागीय सॉफ्टवेयर OFMAS पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेगा।**

10. अनुदान पर वितरित कृषि यंत्र की विशिष्टता :-

i. आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों पर यंत्रों के सीरियल नम्बर के साथ एक प्लेट निश्चित रूप से लगा होना चाहिए, जिस पर योजना का नाम, जिला का नाम, वित्तीय वर्ष के साथ लाभार्थी का नाम एवं पता आदि अंकित रहे।

ii. जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में मात्र अधिकृत मशीनों की ही आपूर्ति हो तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अमानक/सब-स्टैंडर्ड मशीन की आपूर्ति नहीं हो।

iii. जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करायेंगे कि वाणिज्य कर विभाग मेले में अपना एक प्रतिनिधि दल प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिक्री हो रहे मशीन अधिकृत विक्रेताओं के ही हैं और अधिकृत मशीनों से बिक्री कर की वसूली हो रही है।

11. वितरण में पारदर्शिता :-

कृषि यान्त्रिकीकरण योजना में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाईन फार्म मेकेनाईजेशन ऐप्पलिकेशन सॉफ्टवेयर (OFMAS) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन लेने, आवेदन का सत्यापन करने, किसानों को स्वीकृति पत्र निर्गत करने तथा अनुदान

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान की व्यवस्था वर्ष 2014–15 से प्रारंभ की गई है। मेकेनाईजेशन सॉफ्टवेयर को किसानो के हित में वर्ष 2024–25 में भी अपडेट करते हुए लागू किया गया है।

12. प्रचार–प्रसार :–

जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा योजना के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा।

(क) जिला स्तर पर भी इस योजना के संबंध में किसानो की जानकारी के लिए फ्लैक्सी बोर्ड बनाकर जिला के मुख्य भवनों यथा जिला समाहरणालय/जिला कृषि कार्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार–प्रसार किया जाएगा तथा कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली अनुदान राशि को फ्लैक्सी बोर्ड पर अंकित कर प्रचार–प्रसार कराया जायेगा।

(ख) जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालय/कृषि विकास शिविर स्थल पर/पंचायत मुख्यालय में भी फ्लैक्सी बोर्ड लगाकर इसका प्रचार–प्रसार किया जाएगा। पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर योजना में शामिल यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि एवं कृषि यंत्रों की उपयोगिता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(ग) उद्यान से संबंधित यंत्रों का प्रचार–प्रसार जिलो के सहायक निदेशक (उद्यान) एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा लक्ष्य के अनुसार आवेदन सृजित किया जायेगा।

13. कृषक प्रशिक्षण :–

i कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के स्तर से किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके। आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग, रख–रखाव तथा मरम्मति आदि के संबंध में कृषकों को जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि यंत्रों के संबंध में जानकारी दिया जाना है, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर खरीफ, रबी एवं गरमा फसलों के उत्पादन में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग तथा फसल अवशेष संबंधित यंत्र यथा–हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर, सुपर सीडर, रीपर कम बाइन्डर, रोटरी मल्चर, जीरो टिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, पैडी ट्रान्सप्लांटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पावर वीडर, रीपर, पावर टीलर आदि प्राप्त कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना है। तदुपरान्त अन्य कृषि यंत्र प्राप्त लाभान्वितों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

ii सभी उपयोगी बड़े कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता लाभार्थी कृषकों को निश्चित रूप से उक्त यंत्रों के परिचालन एवं रख रखाव का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

iii कृषक प्रशिक्षण/तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम के लिए आत्मा द्वारा निधि की व्यवस्था की जायेगी।

14. राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं को प्रोत्साहन :–

(i) कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम के अधीन राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं को गुणवत्तायुक्त कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य

के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा। उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमान में सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर पर सामान्य श्रेणी हेतु अनुदान दर 40% अधिकतम 50000 रूपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग हेतु 50% अधिकतम 60000 रूपये है तो बिहार के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित यंत्रों के लिए अनुदान दर में 10% की वृद्धि करते हुए यह दर सामान्य श्रेणी हेतु 50% अधिकतम 62500 रूपये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग हेतु 60% अधिकतम 72500 रूपये दोनों में से जो कम हो देय होगा।

उपरोक्त उदाहरण की व्याख्या–

यदि राज्य से बाहर के निर्माता द्वारा निर्मित यंत्रों के लिए अनुदान दर (सामान्य श्रेणी) यंत्र की कीमत का 40% एवं अधिकतम 50000/– रूपया है तो राज्य के निर्माता द्वारा निर्मित यंत्रों के लिए अनुदान दर यंत्र की कीमत का 50% अधिकतम 50000+(50000x2.5x10/100)=50000+12500=62500/- रूपया एवं यदि राज्य से बाहर के निर्माता द्वारा निर्मित यंत्रों के लिए अनुदान दर (SC/ST/EBC) यंत्र की कीमत का 50% एवं अधिकतम 60000/– रूपया है तो राज्य के निर्माता द्वारा निर्मित यंत्र के लिए अनुदान दर यंत्र की कीमत का 60% अधिकतम 60000+(50000x2.5x10/100)=60000+12500=72500/- रूपया में से जो कम हो लागू होगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में अनुदान दर यंत्र की कीमत के 80% से अधिक नहीं होगा।

इससे बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माता अधिक से अधिक संख्या में कृषि यंत्र–निर्माण कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे, जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों को राज्य के अन्दर गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा तथा कृषि यंत्र–निर्माण के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हो पायेगा। फलतः लघु एवं सीमांत किसान ससमय शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे। इससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी।

कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजनान्तर्गत बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर 10% अतिरिक्त अनुदान की राशि का भुगतान राज्य योजना के अधीन इस हेतु कर्णांकित कुल 5.00 करोड़ रू० की राशि से किया जायेगा। इस हेतु जिलों से मांग की गई राशि बजट कोषांग कृषि विभाग द्वारा जिलावार आवंटित की जायेगी।

(ii) राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के कृषि यंत्र के निर्माण के सम्बंध में अद्यतन तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माताओं/पदाधिकारियों को ग्रुप बनाकर भारत के अन्दर का Exposure visit कराये जाने हेतु 50.00 (पचास लाख) रूपया व्यय किया जायेगा। यह Exposure visit कृषि निदेशक के निदेशानुसार वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में होगा।

(iii) बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माता (OFMAS अंतर्गत सूचीबद्ध) द्वारा यदि कोई मशीन पेटेन्ट कराया जाता है तो पेटेन्ट कराने के खर्च को सरकार द्वारा Reimburse किये जाने एवं संबंधित कृषि यंत्र निर्माता को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5.00 (पाँच) लाख रूपये दिया जाना है जिसका भुगतान प्रशासनिक व्यय मद में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

(iv) बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों के परीक्षण में लगने वाले शुल्क (Testing charges) की शत-प्रतिशत राशि का Reimbursement प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। यह विभाग द्वारा OFMAS पर सूचीबद्ध यंत्रों के सूचीबद्ध मेक मॉडल पर ही लागू होगा जिनका Testing Certificate वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में निर्गत हो।

(v) उपर्युक्त उपकंडिका-(i), (ii), (iii) & (iv) के लिए राज्य के यंत्र निर्माताओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान का GST Registration एवं उद्योग विभाग से उद्योग आधार Certification प्राप्त करना होगा। विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित यंत्रों पर 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

15. कृषि यंत्रों की सूचीबद्धता :-

बिहार के अन्दर एवं राज्य के बाहर के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित वैसे कृषि यंत्र, जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान यथा FMTTI/SAUs/BIS/CIPET द्वारा परीक्षित एवं प्रमाणित हो, की सूचीबद्धता ऑनलाईन पद्धति से किया जायेगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु इच्छुक निर्माता, जो बिहार राज्य के कृषकों को अनुदान योजना के तहत यंत्र वितरण करना चाहते है, वे बिहार सरकार कृषि विभाग के वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in के OFMAS Portal पर सूचीबद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जो पूर्व से OFMAS Portal पर ऑनलाईन सूचीबद्ध हो चुके हैं, उन्हें पुनः सूचीबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुदानित योजना में शामिल होने के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षित/प्रमाणित एवं कृषि विभाग में ऑनलाईन सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

कृषि यंत्र निर्माता एवं उनके द्वारा निर्मित यंत्र/मेक/मॉडल के ऑनलाईन सूचीबद्धता की प्रक्रिया *अनुसूची*-"6" के रूप में संलग्न है।

कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन में आवेदन Finalize करने के 15 दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना को कागजात की जाँच हेतु सभी दस्तावेज निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना द्वारा निर्माताओं से प्राप्त अभिलेखों/टेस्ट रिपोर्ट्स की जाँच कर निर्धारित समय-सीमा के अंदर सूचीबद्धता समिति को प्रस्ताव के साथ उपस्थापित करेंगे। सूचीबद्धता समिति द्वारा जाँचोपरांत यंत्रों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी जायेगी। तदोपरांत निर्धारित समय-सीमा के अंदर संयुक्त निदेशक (कृषि अभि०) बिहार, पटना द्वारा यंत्रों के मेक/मॉडल को OFMAS में प्रविष्ट करना सुनिश्चित किया जायेगा।

आलोच्य वर्ष में डीलरों को निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे यंत्रों की संख्या एवं यंत्रों से सम्बंधित विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। आपूरित यंत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बंधित डीलर अनुदान पर यंत्रों का वितरण कर सकेंगे। अवहेलना की स्थिति में उनकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी।

कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा सभी यंत्रों के मुख्य भाग पर engraved/embossed सीरियल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माता अथवा उनके आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अमानक यंत्र की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

सम्बंधित यंत्र के आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता को पर्याप्त संख्या में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को अविलम्ब स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हो सके। समय-समय पर इसकी जाँच सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा की जायेगी।

सभी कृषि यंत्र निर्माता द्वारा अपने डीलरों के विभिन्न प्रकार के यंत्रों के Opening स्टॉक को अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर में डालकर ऑनलाईन किया जायेगा। इसके बाद इनके द्वारा नियमित रूप से इसे अपडेट भी किया जायेगा।

16. कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व :-

<u>कृषि समन्वयक</u>

1. किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।
2. अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन करने हेतु किसानों को प्रेरित करना।
3. किसानों के आवेदन को ऑनलाईन करना तथा किसान को *Acknowledgement* उपलब्ध कराना।
4. आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदित कृषि यंत्र राज्य सरकार की अनुदान स्कीम की तहत पूर्व में खरीदा गया है/अथवा नहीं, की जाँच करना।
5. किसानों को ससमय स्वीकृति पत्र वितरित करना।
6. क्रेता/विक्रेता एवं यंत्र (परिसम्पत्ति) के साथ फोटाग्राफी में उपस्थित रहना।
7. यंत्रों का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन करना।
8. पंचायत से संबंधित कृषि यंत्रो के लक्ष्य एवं अन्य सभी आवश्यक सूचनाओं को अलग से नोट-बुक में संधारित कर अपने साथ रखना।
9. ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की ससमय स्थलीय जाँच करना।
10. यंत्र आपूर्ति पश्चात किसान के घर जा कर यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन एवं यंत्र पर अंकित इंजन नं०/यंत्र का सीरियल नं० का मिलान करना एवं किसान के रजिस्ट्रेशन नं० एवं विक्रय का वर्ष यंत्र पर इन्ग्रेभ्ड है या नहीं की जाँच करना।
11. कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।
12. सॉफ्टवेयर से संबंधित दायित्वः-
    (i) आवेदक द्वारा दिये गये सूचना को सत्यापित करना।
    (ii) जमीन के मालिकाना हक की जाँच सुनिश्चित करना।
    (iii) आवदेक की प्रामाणिकता *(Bonafide)* को सिद्ध करना।
    (iv) लाभार्थी के आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा करना।
    (v) शक्ति चालित यंत्रों के आवेदन में शक्ति स्रोत की उपलब्धता की जाँच सुनिश्चित करना।
    (vi) गैर रैयत कृषकों हेतु संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र की जाँच करना।
    (vii) आवेदक द्वारा सॉफ्टवेयर में अपलोड किये गए दस्तावेज Invisible/ त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अपने लॉगिंन आई०डी० से आवेदन सत्यापन के समय वांछित दस्तावेज पुनः अपलोड करना।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी

1. जिला से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर कृषि समन्वयक को वितरित करना ।
2. प्रखंड के किसानों को यंत्र के क्रय एवं अनुदान प्राप्ति में सहयोग करना ।
3. कृषि समन्वयक द्वारा ऑनलाईन अग्रसारित आवेदन की जाँच कर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को ऑनलाईन अग्रसारित करना।
4. आवेदक तथा आवेदक परिवार के सदस्यों के द्वारा आवेदित कृषि यंत्र राज्य सरकार की अनुदान स्कीम की तहत पूर्व में खरीदा गया है/अथवा नहीं, की जाँच करना।
5. कृषि समन्वयक द्वारा ऑटो फॉरवर्डेड आवेदन की ससमय जाँच करना एवं संबंधित कृषि समन्वयक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना।
6. शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
7. प्रखंड स्तर पर योजना का सघन अनुश्रवण करना।
8. कार्यान्वियन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।
9. सॉफ्टवेयर से संबंधित दायित्वः–

    (i) कृषि समन्वयक के द्वारा अग्रसारित आवेदन की जाँच कर सहमति देना।
    (ii) आवेदन में अंकित खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक की जाँच करना।
    (iii) आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्व में यह कृषि यंत्र राज्य सरकार की अनुदान स्कीम के तहत खरीदा गया अथवा नहीं, को सुनिश्चित करना।
    (iv) आवेदन में वर्णित पूर्व में क्रय किये गये कृषि यंत्रों/मशीनों की सूचना के विवरण की जाँच करना।
    (v) आवदेक की प्रमाणिकता (Bonafide) को सिद्ध करना।
    (vi) योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार आवेदक के प्रात्रता की जाँच करना।
    (vii) लाभार्थी के आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत/अग्रसारित करना।

सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)

1. राज्य से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यंत्रवार एवं कोटिवार आवेदन कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सृजित कराना।
2. जिला में मानक यंत्रों की ही प्रदर्शनी/बिक्री सुनिश्चित करना।
3. कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा Auto Forwarded आवेदन की ससमय जाँच करना एवं कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा जिला कृषि पदाधिकारी को करना।
4. योजनान्तर्गत घटकवार शत–प्रतिशत् लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ससमय कार्रवाई करना।
5. समय–समय पर स्थानीय विक्रेताओं की बैठक कर समीक्षा करना तथा यंत्रों के After Sales service/Spare parts की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. किसानों को योजना में शामिल कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देना एवं उसका उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।
7. अपने क्षेत्रान्तर्गत वितरित किये गये यंत्रों का 25% यंत्रों के भौतिक सत्यापन का स्थलीय जाँच करना।

8. कृषि यंत्र के उपयोग एवं रख–रखाव की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना तथा उसके फायदे के बारे जानकारी देना।
9. डीलर स्तर पर OFMAS Software में घोषित Stock का मिलान करना।
10. कृषि यंत्रों से जुड़ी कृषक शिकायत का समाधान अतिशीघ्र करना।
11. प्रखण्डवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक को दिशा निर्देश जारी करना।
12. कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।
13. सफलता की कहानी तैयार कर निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना।
14. फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों एवं अन्य उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग एवं लाभ के बारे में किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
15. आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदित कृषि यंत्र राज्य सरकार की अनुदान स्कीम की तहत पूर्व में खरीदा गया है/अथवा नहीं, की जाँच करना।
16. सॉफ्टवेयर से संबंधित दायित्वः–
    i. प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन की जाँच करना।
    ii. आवेदक द्वारा वर्णित पूर्व में क्रय किये गये कृषि यंत्रों/मशीनों की सूचना का सत्यापन।
    iii. आवदेक की प्रामाणिकता (Bonafide) को सिद्ध करना।
    iv. योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार आवेदक के प्रात्रता की जाँच करना।
    v. अपने Login ID से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप आवेदक का चयन कर स्वीकृति पत्र उसी दिन निर्गत कर संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उसी समय उपलब्ध कराना।
    vi. लॉटरी के माध्यम से ही यंत्रवार आवेदकों की प्रतीक्षा सूची (लक्ष्य का 150%) तैयार करना।
    vii. विपत्र की जाँच करते समय विपत्र में कोई त्रुटि पाये जाने पर पुनः ऑनलाईन इसे विक्रेता के ID पर वापस करना।
    viii. डीलर रजिस्ट्रेशन को जाँचोपरांत Confirm करना।
    ix. Implement delivery status update करना।

जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व

1. पंचायतवार/प्रखंडवार आवेदन संधारण हेतु पंजी उपलब्ध कराना ।
2. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के साथ एक सहायक/लिपिक तथा एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को सम्बद्ध करना।
3. सहायक निदेशक (कृषि अभि०) के अनुशंसा पर कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना।
4. अपनी अध्यक्षता में सभी आवेदनों के जाँचोपरांत योग्य आवेदनों को स्वीकृति पत्र निर्गत करने हेतु सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के Login ID से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कराना।
5. योजनान्तर्गत घटकवार शत–प्रतिशत् लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ससमय कार्रवाई करना।
6. जिले में सभी यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।

8. प्रखंडवार योजनान्तर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा करना।
9. लक्ष्य के अनुसार ऑनलाईन आवेदन सृजन एवं इसकी ससमय जॉच की समीक्षा करना।
10. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन कृषि निदेशक को उपलब्ध कराना। (विहित प्रपत्र संलग्न)
11. अपने क्षेत्रान्तर्गत वितरित किये गये यंत्रों का 20% *न्यूनतम 60* यंत्रों के भौतिक सत्यापन का स्थलीय जॉच करना।
12. फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक दुष्प्रभाव के बारे में जिला अंतर्गत अभियान चलाना।
13. सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की अनुपलब्धता की स्थिति में उनको आवंटित सभी कार्यो का निष्पादन करना।
14. राज्य से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यंत्रवार एवं कोटिवार आवेदन कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सृजित कराना।
15. सॉफ्टवेयर से संबंधित दायित्वः–
    i. कृषि समन्वयक के प्रोफाइल की Online Entry सुनिश्चित करना।
    ii. कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पासवर्ड रिसेट करना।
    iii. कृषि यंत्र के अनुदान भुगतान एवं UTR No./Transaction ID की Entry करना।
    iv. अनुसूची–3 में निर्धारित समय–सीमा के अनुसार योजना का क्रियान्वयन करना।

<u>परियोजना निदेशक, आत्मा का दायित्व</u>

1. कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित Leaflet वितरित करना।
2. किसानों के प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना।
3. प्रशिक्षण हेतु ऑडियो विजुअल की व्यवस्था करना।
4. आत्मा योजना से किसानों का Exposure Visit कराना।
5. कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण/प्रत्यक्षण आयोजित करना।
6. फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयुक्त यंत्रों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
7. आधुनिक कृषि यंत्रों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

<u>प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य):–</u>

1. प्रखंड स्तर पर योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का नियमित अनुश्रवण करना एवं जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को यथावश्यक निर्देश देना।
2. अपने क्षेत्रान्तर्गत वितरित किये गये यंत्रों का 15 प्रतिशत न्यूनतम 80 यंत्रों के भौतिक सत्यापन का स्थलीय जॉच करना।
3. अनुदेश में संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्व समय–समय पर निर्धारित है। वे योजना के प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा कृषि निदेशक, बिहार को प्रतिवेदन देंगे।
4. अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य/भौतिक लक्ष्य का शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करना एवं योजना के कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना:–

1. योजनान्तर्गत शामिल सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के निर्माताओं एवं उनके यंत्रों (मेक/मॉडल) को ससमय सूचीबद्ध करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना ताकि किसानों को ससमय कृषि यंत्र क्रय करने का अवसर मिल सके।
2. योजनान्तर्गत जिस यंत्र के कोई भी निर्माता राज्य में सूचीबद्ध नहीं हों, उनके निर्माताओं को सूचीबद्ध करवाने हेतु सार्थक प्रयास करना।
3. निर्माताओं द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन में आनेवाली समस्याओं का ससमय निराकरण सुनिश्चित करना।
4. योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले यंत्रों के टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
5. *सूचीबद्ध यंत्रों का राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराना।*
6. योजना के क्रियान्वयन का सघन अनुश्रवण करना।
7. समय–समय पर कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं की बैठक कर योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करना।

राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण), बिहार, पटना:–

1. राज्य स्तर पर योजना का सघन अनुश्रवण करना।
2. योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाईयों से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना एवं उनका निराकरण करना।
3. योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु योजना के प्रगति की समीक्षा करना।
4. अनुदान पर वितरित यंत्रों का समय–समय पर औचक निरीक्षण करना तथा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को प्रतिवेदित करना।

17. लेखा का संधारण :–

अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रो का लेखा संधारण योजनावार/कोटिवार किया जायेगा। किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र जिस योजना के विरूद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जायेगा।

18. अनुश्रवण :–

(i) जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यंत्रवार अनुदान राशि का विस्तृत ब्योरा अनुदान भुगतान के पश्चात 24 घंटे के अंदर ऑनलाईन OFMAS Software के Subsidy Released मेनू में अपडेट करना।

(ii) नियंत्री/पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन :– प्रमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्रों के 15 प्रतिशत न्यूनतम 80 प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) द्वारा, जिला में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्रों के 20 प्रतिशत न्यूनतम 60 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तथा जिला में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्रों के 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन का जाँच सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा एवं अनुमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये कृषि यंत्र का 50 प्रतिशत न्यूनतम 80 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किसानों के घर पर जाकर भौतिक सत्यापन की जाँच की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा शत–प्रतिशत कृषि यंत्रों का जाँच किया जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी को छोड़कर उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन OFMAS Software में Upload किया जायेगा, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहे।

(iii) कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा आवश्यकतानुसार राज्य में उपलब्ध कृषि अभियंताओं का एक समूह बनाकर वितरित यंत्रों की गुणवत्ता की रैण्डम जाँच करायी जायेगी।

(iv) कृषि निदेशक बिहार, पटना समय–समय पर सभी सूचीबद्ध उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माताओं/वितरकों की बैठक कर समीक्षा करेंगे।

(v) राज्य नोडल पदाधिकारी, यांत्रिकीकरण/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना आवश्यकतानुसार जिलों का दौरा करेंगे तथा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वितरित कृषि यंत्रों की समीक्षा कर प्रतिवेदन से कृषि निदेशक को अवगत करायेंगे।

(vi) योजनान्तर्गत यंत्रों का शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(vii) जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं उनके द्वारा इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भी भेजी जायेगी।

(viii) प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यक संशोधन एवं समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। किसानों के हित में किसी भी नये कृषि यंत्र को कृषि विभागीय राज्य स्तरीय तकनीकी समिति एवं यूनिट कॉस्ट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में अनुदानित कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार प्रशासी विभाग को होगा।

(ix) योजना कार्यान्वयन में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

(x) जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार होंगे।

19. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई :–

भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

जाँच के क्रम में यदि पाया जाता है कि कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता द्वारा अमानक यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये गये हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित निर्माता/विक्रेता पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अमानक यंत्रों की आपूर्ति करने/यंत्र क्रय किये बिना अनुदान प्राप्त करने या भुगतान करने/अपात्र लाभूकों को अनुदान वितरण करने की स्थिति में दोषी कर्मी/पदाधिकारी/आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

20. अन्यान्य :–

1. किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।
2. नकद पत्र मूल (Original) में होना चाहिये, जिस पर यंत्र का Specification (यंत्र का अश्वशक्ति, मेक/मॉडल/साइज/टाईन अंकित हो) एवं एसेसरीज में एसेसरीज का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
3. जिला कृषि पदाधिकारी फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर नियमानुसार GST की कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला के वाणिज्य–कर कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी वाणिज्य–कर कार्यालय को देंगे ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके।
4. स्वीकृत्यादेश में जिन यंत्रों पर अनुदान देय है, उन्हीं यंत्रों पर अनुदान देय होगा। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।
5. **कृषि यांत्रिकीकरण योजना का सामान्य अनुदेश :–**

i. जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं की एक बैठक करायेंगे जिसमें गुणवत्ता युक्त कृषि यंत्रों को उचित मूल्य पर बिक्री करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

ii. जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला में सूचीबद्ध कृषि यंत्र विक्रेता द्वारा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।

iii. यांत्रिकीकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से सम्बंधित अनुदेश *अनुसूची–"4"* के रूप में संलग्न है।

iv. अगर यंत्र निर्माता द्वारा यंत्रों पर कोई क्रमांक उत्कीर्ण नहीं किया गया है तो यंत्रों पर संख्या *Engrave* कराने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी, जिसे सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) सुनिश्चित करायेंगे।

v. यंत्रों के सत्यापन का कार्य संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

vi. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मेमो का निरीक्षण सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा किया जायेगा। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना बाजार मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल से संबंधित प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार, पटना/राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण) को भेजी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

vii. यंत्र विक्रेता जिस बैंक खाते से निर्माता को भुगतान करते हैं उस खाता का बैंक स्टेटमेंट लिया जायेगा, ताकि यह जानकारी हो पाये कि खाते से केवल नगदी लेन–देन हो रहा है या किसी निर्माता को भुगतान भी किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार का संदेह पाया जाता है तो इस संबंध में तुरन्त कारवाई प्रारम्भ की जायेगी। यह कारवाई जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

viii. जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा विहित प्रपत्र–I में ससमय प्रगति प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(मुकेश कुमार लाल)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

अनुसूची-01 (1/39)

कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना 2024-25 अंतर्गत यंत्रवार/कोटिवार कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	यंत्र समूह का नाम	यंत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य					वित्तीय लक्ष्य				
			Gen	EBC	SC	ST	Total	Gen	EBC	SC	ST	Total
1	(A) Small Agriculture Mannual Tool Kit	Small Agriculture Mannual Tool Kit (Khurpi, Improved sickel, Hoe, Mannual Maize sheller, Mannual weeder)	24522	7279	8100	551	40452	19617600	5823200	6480000	440800	32361600
		Total	24522	7279	8100	551	40452	19617600	5823200	6480000	440800	32361600
2	(B) Crop Residue Management Equipments	Brush Cutter(3-5 BHP)	168	43	66	21	298	2688000	860000	1320000	420000	5288000
3		Brush Cutter(Below 3 BHP petrol driven)	358	62	162	53	635	3580000	775000	2025000	662500	7042500
4		Happy Seeder(9-11 tyne)	16	2	2	0	20	1760000	240000	240000	0	2240000
5		Hay rack (working width 1.0 M min.)	16	1	1	0	18	576000	45000	45000	0	666000
6		Paddy Straw Chopper(Driven by Tractor above 35 BHP)	19	4	1	0	24	2090000	480000	120000	0	2690000
7		Reaper	571	152	185	30	938	14275000	4560000	5550000	900000	25285000
8		Reaper cum Binder(T/D)	60	40	42	0	142	7200000	6000000	6300000	0	19500000
9		Reaper-cum-Binder(s/p) 3 wheel	31	20	12	0	63	4340000	3500000	2100000	0	9940000
10		Reaper-cum-Binder(s/p) 4 wheel	39	20	22	0	81	7800000	5000000	5500000	0	18300000
11		Reversable M.B Plough(Above 35 HP)	31	5	4	0	40	1085000	220000	176000	0	1481000
12		Rotary Mulcher (35 HP & above)	35	5	3	0	43	3850000	600000	360000	0	4810000
13		Rotary slasher(Driven by Tractor above 35 BHP)	58	8	8	1	75	2175000	320000	320000	40000	2855000
14		Seed cum Fertilizer Drill(Above 9 tyne)	18	3	3	0	24	720000	129000	129000	0	978000
15		Self Propelled Reaper	151	45	51	4	251	7550000	2700000	3060000	240000	13550000
16		SMS (Straw Management System)	16	2	1	0	19	1312000	176000	88000	0	1576000
17		Square Baler (working width min. 130 cm)	4	0	0	0	4	2000000	0	0	0	2000000
18		Straw Reaper	39	29	24	0	92	4056000	3770000	3120000	0	10946000
19		StrawBalerWithoutRack	23	3	3	0	29	5175000	750000	750000	0	6675000
20		Super Seeder (Tractor Operated)- 6 feet	96	8	14	0	118	13632000	1216000	2128000	0	16976000
21		Super Seeder (Tractor Operated)- 7 feet	149	15	17	0	181	22350000	2400000	2720000	0	27470000
22		Super Seeder (Tractor Operated)- 8 feet	10	0	1	0	11	1570000	0	168000	0	1738000
23		Zero Tillage(Above 9 tyne)	280	47	83	7	417	11200000	2021000	3569000	301000	17091000
		Total	2188	514	705	116	3523	120984000	35762000	39788000	2563500	199097500
24	(C) Tillage & Sowing Equipments	Cultivator(T/D)	818	216	261	34	1329	8180000	3024000	3654000	476000	15334000
25		Disc Harrow(T/D)	568	157	198	15	938	14200000	4710000	5940000	450000	25300000
26		Disc Plough	102	19	24	1	146	2040000	456000	576000	24000	3096000
27		Laser Land Leveller	50	9	6	0	65	7500000	1620000	1080000	0	10200000
28		Leveller T.D (6 Feet & Above)	421	135	173	32	761	2105000	1012500	1297500	240000	4655000
29		M.B Plough 2-3 bottom(35 HP & Above)	77	16	25	0	118	924000	240000	375000	0	1539000
30		Paddy Transplanter(S.P) above 4-row	9	0	0	0	9	1800000	0	0	0	1800000
31		Paddy Transplanter(S.P) upto 4-row	13	0	0	0	13	1560000	0	0	0	1560000
32		PaddyDrumSeeder	130	43	56	11	240	390000	161250	210000	41250	802500
33		Potato Planter(Above 35 HP)	43	1	0	0	44	2150000	63000	0	0	2213000
34		Power Tiller(8 Hp & Above)	138	36	36	0	210	8280000	2700000	2700000	0	13680000
35		Raised Bed Planter (Driven by Tractor above 35 BHP)	58	19	8	0	85	1856000	760000	320000	0	2936000
36		Rice Wheat Seeder	91	27	41	13	172	455000	162000	246000	78000	941000
37		Ridger/Trencher	79	21	9	0	109	592500	231000	99000	0	922500
38		Rotavator/Rotary Tiller (Driven by Tractor Above 35 BHP)	495	134	160	5	794	12375000	4020000	4800000	150000	21345000
39		Sub-Soiler(3 tyne)	50	10	11	0	71	1000000	220000	247789	0	1467789
		Total	3142	843	1008.1	111	5104.1	65407500	19379750	21545289	1459250	107791789

क्र० सं०	यंत्र समूह का नाम	यंत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य					वित्तीय लक्ष्य				
			Gen	EBC	SC	ST	Total	Gen	EBC	SC	ST	Total
40		Boom Sprayer	49	7	9	1	66	1470000	280000	360000	40000	2150000
41		Chaff Cutter(Electric motor operated above 3-5HP)	1160	308	345	47	1860	20880000	6468000	7245000	987000	35580000
42		Chaff Cutter(Manual Heavy Duty)-3 Roller, Shuking Type	131	29	33	4	197	524000	145000	165000	20000	854000
43		Chaff Cutter(Manual)-2 Roller,Non-Shuking	282	56	67	3	408	846000	252000	301500	13500	1413000
44		Chaff Cutter-Tractor PTO Operated(35 HP & Above)	303	74	79	6	462	12120000	3700000	3950000	300000	20070000
45		Electric Weeder (above 1100 watt)	23	1	2	0	26	1150000	62500	125000	0	1337500
46		Hand tool okra for harvesting	428	164	168	66	826	59920	28700	29400	11550	129570
47		HDPE Irrigation Pipe	324	91	99	4	518	4860000	1365000	1485000	60000	7770000
48		HDPE Laminated Woven Layflat Tube	1790	544	599	77	3010	3580000	1088000	1198000	154000	6020000
49		Maize Dehusker-cum-Sheller (Above 35 BHP Tractor Operated)	119	28	27	0	174	3808000	1120000	1080000	0	6008000
50		Maize Thresher (Driven by Tractor 20-35 BHP)	280	71	75	3	429	7840000	2485000	2625000	105000	13055000
51		Manual Rocker Sprayer(Gator)	195	52	55	2	304	487500	156000	165000	6000	814500
52		Metal Storage Bin (Dhatu Kothila) 5Qtn.,Wt	1302	324	360	46	2032	2083200	648000	720000	92000	3543200
53	(D) Harvesting, Threshing & Other Equipments	Multi Crop Thresher(Driven by Engine/Electric motor above 5 BHP)	26	2	4	0	32	2080000	200000	400000	0	2680000
54		Multi Crop Thresher(Driven by Tractor above 35 BHP)	279	67	77	2	425	22320000	6700000	7700000	200000	36920000
55		Paddy Thresher(Driven by Engine/Electric motor above 5 BHP)	40	3	6	0	49	3200000	300000	600000	0	4100000
56		Paddy Thresher(Driven by Tractor above 35	249	63	68	1	381	19920000	6300000	6800000	100000	33120000
57		Plant Protection Equip. Manual Sprayer	174	55	69	35	333	104400	41250	51750	26250	223650
58		Post Hole Digger	110	25	29	4	168	1650000	475000	551000	76000	2752000
59		Potato Digger (Above 35 HP tractor operated)	18	3	4	0	25	630000	132000	176000	0	938000
60		Power Maize Sheller(Electric motor operated)	290	59	69	7	425	2900000	885000	1035000	105000	4925000
61		Power Maize Thresher (Above 35 BHP Tractor Operated)	114	25	31	3	173	3648000	1000000	1240000	120000	6008000
62		Power Maize Thresher(Electric motor operated)	375	79	81	14	549	3750000	1185000	1215000	210000	6360000
63		Power Sprayer(Battery operated)	1943	474	550	109	3076	2914500	948000	1100000	218000	5180500
64		Power weeder (2-5 BHP)	158	37	42	0	237	3792000	1110000	1260000	0	6162000
65		Power weeder (Above 5 BHP)	392	67	78	1	447	9664000	2680000	3120000	40000	15504000
66		Pump Set(Electric) Up to 10 HP	1748	432	495	77	2752	13984000	4320000	4950000	770000	24024000
67		Self-Propelled Power Paddy Weeder	30	7	4	2	43	900000	262500	150000	75000	1387500
68		Thresher(Driven by Engine/Electric motor above 5 BHP)	36	2	6	0	44	2880000	200000	600000	0	3680000
69		Thresher(Driven by Tractor above 35 BHP)	256	73	72	3	404	20480000	7300000	7200000	300000	35280000
		Total	12534	3222	3603	517	19875	174525520	51836950	57597650	4029300	287989420
70		ChainSawForPruning	83	19	16	3	121	830000	285000	240000	45000	1400000
71		Electric Mortar and Pestle(Electric Okhali) 1 HP Electric Motor Operated	85	13	10	0	108	2210000	422500	325000	0	2957500
72		Flour Mill(Electric motor operated 3 HP &	614	173	234	41	1062	5894400	2076000	2808000	492000	11270400
73		Hand Cranked Improved Chakki Machine	34	2	0	0	36	272000	20000	0	0	292000
74		Makhana Popping Machine	20	3	2	0	25	2800000	480000	320000	0	3600000
75		Mini Dal Mill	37	4	2	0	43	1295000	160000	80000	0	1535000
76	(E) Post Harvest & Horticulture Equipments	Mini Oil Mill	180	39	42	0	261	6300000	1560000	1680000	0	9540000
77		Mini Rice Mill (Haller 500 kg/hr) Tractor	251	66	62	0	379	13052000	4290000	4030000	0	21372000
78		Mini Rubber Rice Mill(Above 4 Q/hr Output Capacity)-Tractor operated	70	12	9	0	91	4200000	900000	675000	0	5775000
79		Rice Mill (Electric motor operated 3 HP &	585	172	207	21	985	12285000	4128000	4968000	504000	21885000
80		Rice Mill -cum- Pulverizer	614	150	192	10	966	15964000	4875000	6240000	325000	27404000
81		Tea pluckers engine operated (Two Man Operated) working width min-1200 mm	5	2	2	0	9	200000	100000	100000	0	400000
82		Tea pluckers engine operated (One Man Operated) working width min-500 mm	5	2	1	1	9	40000	20000	10000	10000	80000
		Total	2583	657	779	76	4095	65342400	19316500	21476000	1376000	107510900
		Grand Total	44969	12515	14195	1371	73049	445877020	132118400	146886939	9868850	734751209

अनुसूची–2

कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान वर्ष 2024–25

क्र० सं०	यंत्र का नाम	देय अनुदान दर/अधिकतम सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रू० में)	
		सामान्य श्रेणी	अनु०जाति/जनजाति/अ०पि०व०
1	2	3	4
1	**A. Small Agriculture Manual Tool Kit** (Khurpi, Improve sickel, Hoe, Manual Maize sheller, Manual weeder)	80% अधिकतम 800	80% अधिकतम 800
	B. Crop Residue Manegement Equipment		
2	रोटरी मल्चर (35 एच.पी. एवं उपर)	75% अधिकतम 110000	80% अधिकतम 120000
3	एस.एम.एस. (स्ट्रॉ मैनेजमेन्ट सिस्टम)	75% अधिकतम 82000	80% अधिकतम 88000
4	स्ट्रॉ बेलर विदाउट रेक	75% अधिकतम 225000	80% अधिकतम 250000
5	सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट	75% अधिकतम 142000	80% अधिकतम 152000
6	सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट	75% अधिकतम 150000	80% अधिकतम 160000
7	सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट	75% अधिकतम 157000	80% अधिकतम 168000
8	हैप्पी सीडर (9 से 11 टाईन)	75% अधिकतम 110000	80% अधिकतम 120000
9	रोटरी स्लैशर	75% अधिकतम 37500	80% अधिकतम 40000
10	पैडी स्ट्रॉ चॉपर	75% अधिकतम 110000	80% अधिकतम 120000
11	जीरो टीलेज/सीड–कम–फर्टीलाईजर ड्रील (9 टाईन से उपर)	75% अधिकतम 40000	80% अधिकतम 43000
12	रीपर (ट्रैक्टर से चालित)	50% अधिकतम 25000	60% अधिकतम 30000
13	रिभरसिबुल एम०बी०प्लाऊ 35 एच०पी० से उपर	50% अधिकतम 35000	60% अधिकतम 44000
14	स्कवायर बेलर (वर्किंग विथ 130 सेंटीमीटर कम से कम)	40% अधिकतम 500000	50% अधिकतम 625000
15	हे रैक (वर्किंग विथ 1 मीटर कम से कम)	40% अधिकतम 36000	50% अधिकतम 45000
16	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	40% अधिकतम 50000	50% अधिकतम 60000
17	ब्रस कटर 3 बी०एच०पी० से कम	40% अधिकतम 10000	50% अधिकतम 12500
18	ब्रस कटर 3–5 बी०एच०पी० तक	40% अधिकतम 16000	50% अधिकतम 20000
19	स्ट्रा रीपर	40% अधिकतम 104000	50% अधिकतम 130000
20	रीपर–कम–बाइन्डर (स्वचालित) 3 व्हील	40% अधिकतम 140000	50% अधिकतम 175000
21	रीपर–कम–बाइन्डर (स्वचालित) 4 व्हील	40% अधिकतम 200000	50% अधिकतम 250000
22	रीपर–कम–बाइन्डर (ट्रैक्टर चालित)	40% अधिकतम 120000	50% अधिकतम 150000
	C. Tillage & sowing machine		
23	सब–स्वायलर (3 टाईन)	75% अधिकतम 20000	80% अधिकतम 22000
24	डिस्क प्लाऊ ट्रैक्टर चालित	50% अधिकतम 20000	60% अधिकतम 24000
25	डिस्क हैरो (ट्रैक्टर चालित)	50% अधिकतम 25000	60% अधिकतम 30000

Scanned with OKEN Scanner

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	देय अनुदान दर/अधिकतम सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रू० में)	
		सामान्य श्रेणी	अनु०जाति/जनजाति/अ०पि०व०
1	2	3	4
26	कल्टीवेटर	50% अधिकतम 10000	60% अधिकतम 14000
27	लेवेलर (ट्रैक्टर चालित)-6 फीट या उससे उपर	50% अधिकतम 5000	60% अधिकतम 7500
28	लेजर लैण्ड लेवेलर	50% अधिकतम 150000	60% अधिकतम 180000
29	रीजर/ट्रेन्चर	50% अधिकतम 7500	60% अधिकतम 11000
30	पैडी ड्रम सीडर (मैनुअल)	50% अधिकतम 3000	60% अधिकतम 3750
31	राईस-व्हीट सीडर (मानव चालित)	50% अधिकतम 5000	60% अधिकतम 6000
32	पोटैटो प्लान्टर (35 एचपी से उपर)	50% अधिकतम 50000	60% अधिकतम 63000
33	रोटावेटर/ रोटरी टीलर 35 बीएचपी से उपर ट्रैक्टर चालित	50% अधिकतम 25000	60% अधिकतम 30000
34	स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (4 कतार से ऊपर)	50% अधिकतम 200000	60% अधिकतम 240000
35	स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर (4 कतार तक)	40% अधिकतम 120000	50% अधिकतम 150000
36	पावर टीलर (8 एच०पी० या उससे उपर)	40% अधिकतम 60000	50% अधिकतम 75000
37	एम०बी०प्लाऊ 2-3 बॉटम (35 एच०पी० या उससे उपर)	40% अधिकतम 12000	50% अधिकतम 15000
38	रेज्ड बेड प्लान्टर (35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित)	40% अधिकतम 32000	50% अधिकतम 40000
	D.Harvesting ,Threshing & others Equipments		
39	पावर मेज सेलर/ मेज थ्रेशर (इलेक्ट्रीक मोटर से चालित)	50% अधिकतम 10000	60% अधिकतम 15000
40	पोटैटो डीगर (35 एच०पी० से अधिक शक्ति के ट्रैक्टर द्वारा चालित)	50% अधिकतम 35000	60% अधिकतम 44000
41	सिंचाई पाईप एच०डी०पी०ई० (300 मी० तक) अनुदान 50/-रू० प्रति मीटर	50% अधिकतम 15000	50% अधिकतम 15000
42	एच०डी०पी० लैमिनेटेड वुभेन ले फ्लैट ट्यूब (100 मी. तक) अनुदान 20/-रू० प्रति मीटर	50% अधिकतम 2000	50% अधिकतम 2000
43	मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र (स्प्रेयर)	50% अधिकतम 600	60% अधिकतम 750
44	मानव चालित रॉकर स्प्रेयर (गटोर)	50% अधिकतम 2500	60% अधिकतम 3000
45	पावर स्प्रेयर (बैट्री ऑपरेटेड)	50% अधिकतम 1500	60% अधिकतम 2000
46	बूम स्प्रेयर	50% अधिकतम 30000	60% अधिकतम 40000
47	पोस्ट होल डीगर	50% अधिकतम 15000	60% अधिकतम 19000
48	पम्पसेट अधिकतम 10 एच.पी. तक (इलेक्ट्रीक)	50% अधिकतम 8000	60% अधिकतम 10000
49	चैफ कटर (मैनुअल) - 2 रॉलर, नन-शकिंग टाईप	50% अधिकतम 3000	60% अधिकतम 4500
50	चैफ कटर (हैवी ड्युटी मैनुअल) - 3 रॉलर, शकिंग टाईप	50% अधिकतम 4000	60% अधिकतम 5000

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	यंत्र का नाम	देय अनुदान दर/अधिकतम सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रू० में)	
		सामान्य श्रेणी	अनु०जाति/जनजाति/अ०पि०व०
1	2	3	4
51	चैफ कटर (विद्युत मोटर 3 से 5 एच०पी० उपर)	50% अधिकतम 18000	60% अधिकतम 21000
52	चैफ कटर 35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित	40% अधिकतम 40000	50% अधिकतम 50000
53	पावर मेज थ्रेसर/ मेज डिहस्कर–कम–सेलर (35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित)	40% अधिकतम 32000	50% अधिकतम 40000
54	मेज थ्रेसर (20–35 बी०एच०पी० ट्रैक्टर चालित)	40% अधिकतम 28000	50% अधिकतम 35000
55	हैंड टूल ओकरा हार्वेस्टींग के लिए	40% अधिकतम 140	50% अधिकतम 175
56	मेटल स्टोरेज बिन क्षमता 5 क्विंटल (शीट गेज–24)	40% अधिकतम 1600	50% अधिकतम 2000
57	पावर वीडर 2–5 बी०एच०पी० तक	40% अधिकतम 24000	50% अधिकतम 30000
58	पावर वीडर 5 बी०एच०पी० से उपर	40% अधिकतम 32000	50% अधिकतम 40000
59	थ्रेसर 5 बी०एच०पी० से उपर इंजन /विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित	40% अधिकतम 80000	50% अधिकतम 100000
60	मल्टीक्रॉप थ्रेसर 5 बी०एच०पी० से उपर इंजन /विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित	40% अधिकतम 80000	50% अधिकतम 100000
61	पैडी थ्रेसर 5 बी०एच०पी० से उपर इंजन /विद्युत मोटर चालित एवं 35 बी०एच०पी० से उपर ट्रैक्टर चालित	40% अधिकतम 80000	50% अधिकतम 100000
62	इलेक्ट्रीक वीडर (1100 वाट से उपर)	40% अधिकतम 50000	50% अधिकतम 62500
63	सेल्फ प्रोपेल्ड पावर पैडी वीडर	40% अधिकतम 30000	50% अधिकतम 37500
	E. Post Harvest Horticulture Equipment		
64	मखाना पॉपिंग मशीन	70% अधिकतम 140000	80% अधिकतम 160000
65	मिनी रबर राईस मिल (4 क्विंटल प्रति घंटे से उपर क्षमता वाला – ट्रैक्टर चालित)	50% अधिकतम 60000	60% अधिकतम 75000
66	मिनी दाल मिल/ऑयल मिल	50% अधिकतम 35000	60% अधिकतम 40000
67	राईस मिल (विद्युत मोटर चालित–3 एच०पी० एवं उपर)	50% अधिकतम 21000	60% अधिकतम 24000
68	चेन सॉ (प्रूनिंग के लिए)	50% अधिकतम 10000	60% अधिकतम 15000
69	फ्लोर मिल विद्युत मोटर चालित (3 एच०पी० एवं उपर)	40% अधिकतम 9600	50% अधिकतम 12000
70	हैंड क्रैंक्ड इम्प्रूव्ड चक्की मशीन	40% अधिकतम 8000	50% अधिकतम 10000
71	इलेक्ट्रीक मॉर्टार एवं पेस्टल (इलेक्ट्रीक ओखली) 1 एच०पी० इलेक्ट्रीक मोटर से चालित	40% अधिकतम 26000	50% अधिकतम 32500

Scanned with OKEN Scanner

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	देय अनुदान दर/अधिकतम सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रू० में)	
		सामान्य श्रेणी	अनु०जाति/जनजाति/अ०पि०व०
1	2	3	4
72	टी प्लकर इंजिन चालित (एक आदमी के लिए) वर्किंग विथ मिनिमम 500 मिली मीटर	40% अधिकतम 8000	50% अधिकतम 10000
73	टी प्लकर इंजिन चालित (दो आदमी के लिए) वर्किंग विथ मिनिमम 1200 मिली मीटर	40% अधिकतम 40000	50% अधिकतम 50000
74	राईस मिल-कम-पल्वेराईजर	40% अधिकतम 26000	50% अधिकतम 32500
75	मिनी राईस मिल (हलर 500 किलो/घंटा) ट्रैक्टर चालित	40% अधिकतम 52000	50% अधिकतम 65000

Scanned with OKEN Scanner